

सं०सं०-९ / आ०-०४-०६ / २०२०

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

### संकल्प

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-4392 दिनांक-09 11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई दिनांक-27 07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपरिथित हैं।

२. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० शंकर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-229(9) दिनांक-31 01 2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्रांक-913(9) दिनांक-18.08.2020 द्वारा डा० शंकर से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की रिथति में विभागीय पत्रांक-696(9) दिनांक-30 08.2022 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए द्वितीय कारण-पृच्छा किया गया। अन्ततः द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० शंकर को सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

३. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-4588 दिनांक-19.02.2024 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-04 02 2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-27 पर मंत्रिपरिषद् की रवीकृति प्राप्त है।

४. तदनुसार डा० प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक-27 07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपरिथित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

**आदेशः—**संकल्प की प्रति डा० प्रेम प्रकाश शंकर एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-  
(उपेन्द्र राम)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९ / आ०-०४-०६ / २०२०(स्वा०) । ३७(९) / पटना, दिनांक: । ०.२.२५

**प्रतिलिपि:**—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—डा० प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१००२१०२५

(15)

**प्रतिलिपि:**—अपर मुख्य राजिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्ट सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्ट सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—प्रशास्त्र पदाधिकारी, प्रशास्त्रा—2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—आई0टी0 मैनेजर, रवा० विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभिनव  
10/02/2025  
सरकार के अवर सचिव।